पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/202

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जुलाई, 2022 ई0 (आषाढ़ 25, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–29

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	595–603	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	659–663	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरियां, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	281–295	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 833/XXXI(1)/2022/पदो0–01/2020–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत श्री ओमकार सिंह को नियमित चयनोपरान्त अपर सचिव, वेतनमान लेवल–13'क' के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री ओमकार सिंह, अपर सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 834/XXXI(1)/2022/पदो0–01/2020–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री ध्रुव मोहन सिंह राणा को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव, वेतनमान लेवल–13 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री ध्रुव मोहन सिंह राणा, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4

अधिसूचना

प्रकीर्ण

05 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 512/XXIV-4/2022–01(01)2016 T.C.–राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेत्तर परिष्कार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (परिष्कार) विनियम, 2022 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय–तेरह विनियम 3 का परिष्कार

2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009, (जिसे यहाँ आगे मूल विनियम कहा गया है) के अध्याय–तेरह में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान विनियम 3 खण्ड (i), (iii), (iv), (viii) तथा (ix) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित खण्ड
अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा–9 तथा 10 का पाठ्यक्रम)	अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा–9 तथा 10 का पाठ्यक्रम)
3–(i) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा के सभी पाँच विषयों में 'ई' से उच्च श्रेणी (अर्थात कम से कम 33 प्रतिशत अंक) प्राप्त करनी होगी। बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे। प्रायोगिक कार्य वाले विषय के मामले में विद्यार्थी को अलग से 33% अंक सिद्धान्त में और 33% अंक प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा, उस विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुल 33% अंक प्राप्त करने होंगे।	3–(i) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा के सभी पाँच विषयों में 'ई' से उच्च श्रेणी (अर्थात कम से कम 33 प्रतिशत अंक) प्राप्त करनी होगी। परीक्षा के प्रत्येक विषय में परीक्षार्थी को कुल मिलाकर 33% अंक प्राप्त करने होंगे किन्तु विद्यार्थी को विषय के प्रत्येक भाग यथा सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक, प्रोजेक्ट व आन्तरिक मूल्यांकन (जो भी लागू हो) में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना होगा।
(अ) व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्मिलित विद्यार्थी को परिषद् द्वारा दिया जाने वाला अकादमिक प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण होने पर सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउन्सिल के सहयोग से दक्षता आधारित प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा। यदि व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्मिलित विद्यार्थी अकादमिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो किन्तु व्यावसायिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण हो, तो अकादमिक रूप से अनुत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी को भी व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउन्सिल के सहयोग से दक्षता आधारित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।	(अ) व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्मिलित विद्यार्थी को परिषद् द्वारा दिया जाने वाला अकादमिक प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण होने पर सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउन्सिल के सहयोग से दक्षता आधारित प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा। यदि व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्मिलित विद्यार्थी अकादमिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो किन्तु व्यावसायिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण हो, तो अकादमिक रूप से अनुत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी को भी व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउन्सिल के सहयोग से दक्षता आधारित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
(iii) गणित एवं सामाजिक विषयों में 80 (बाह्य मूल्यांकन)/20 (आन्तरिक मूल्यांकन) की व्यवस्था लागू कर दी गई है, अतः परीक्षार्थी को नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा बाह्य मूल्यांकन भाग एवं आन्तरिक मूल्यांकन भाग में पृथक–पृथक 25% अंक प्राप्त किये गये हों। किन्तु यह भी कि दोनों भागों का कुल प्राप्तांक 33% होने की दशा में परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।	(iii) गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में 80 (बाह्य मूल्यांकन)/20 (आन्तरिक मूल्यांकन) की व्यवस्था लागू है। अतः परीक्षार्थी को नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा बाह्य मूल्यांकन भाग एवं आन्तरिक मूल्यांकन भाग में मिलाकर 25% अंक प्राप्त किये गये हों। किन्तु यह भी कि दोनों भागों का कुल प्राप्तांक 33% होने की दशा में परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।
(iv) सत्र 2008–09 में विज्ञान विषय एवं गृह विज्ञान की परीक्षा योजना 75/25 (लिखित	(iv) विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय में 80 (लिखित) व 20 (प्रयोगात्मक)

तथा प्रयोगात्मक) पर आधारित रहेगी। परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु इन विषयों में क्रमशः न्यूनतम 25 (लिखित)/8 (प्रयोगात्मक) अंक प्राप्त करने होंगे। विज्ञान विषय एवं गृह विज्ञान विषय में परीक्षार्थी को नियमानुसार कृपांक दिया जायेगा। कृपांक हेतु प्रयोगात्मक एवं सिद्धान्त में पृथक–पृथक 25% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। (75 एवं 25 अंकों की स्थिति में 25% क्रमशः 18 अंक एवं 06 अंक निर्धारित किया जाता है।)

(viii) परीक्षार्थी को प्रदान किया गया कृपांक सारणीयन पंजिका में अंकित किया जायेगा किन्तु अंक पत्र में इसे प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। इसी भाँति श्रेणी कृपांक (ग्रेटिस) अंक पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा किन्तु इसे सारणीयन पंजिका में प्रदर्शित किया जायेगा। अंक पत्र के पृष्ठ भाग पर तत्सम्बन्धी नियम का उल्लेख किया जायेगा।

(ix) हाईस्कूल परिषदीय परीक्षा वर्ष 2009 से विभिन्न विषयों हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं–

CODE	NAME OF SUBJECT	THEORY MAXIMUM MARKS	THEORY MINIMUM PASS MARKS	INTERNAL ASSESSMENT MAXIMUM	PRACTICAL MINIMUM MARKS	TOTAL MINIMUM PASS MARKS	TOTAL MARKS MAXIMUM
001	HINDI	100	33	–	–	33	100
003	GUJRATI	100	33	–	–	33	100
004	URDU	100	33	–	–	33	100
005	PUNJABI	100	33	–	–	33	100
006	BENGALI	100	33	–	–	33	100
021	ENGLISH	100	33	–	–	33	100
025	NEPALI	100	33	–	–	33	100
028	SANSKRIT	100	33	–	–	33	100
031	MATHEMATICS	80	–	20	–	33	100
032	HOME SCIENCE	75	25	25	08	33	100
033	SCIENCE	75	25	25	08	33	100
034	SOCIAL SCIENCE	80	–	20	–	33	100
035	HINDUSTANI MUSIC VOCAL	25	08	75	25	33	100
036	HINDUSTANI MUSIC MELODIC INSTRUMENTAL	25	08	75	25	33	100
037	HINDUSTANI MUSIC PERCUSSION INSTRUMENTAL	25	08	75	25	33	100
038	CARNATIC MUSIC VOCAL	25	08	75	25	33	100
039	CARNATIC MUSIC MELODIC INSTRUMENTAL	25	08	75	25	33	100
040	CARNATIC MUSIC - PERCUSSION INSTRUMENTAL	25	08	75	25	33	100
041	PAINTING	100	33	–	–	33	100
042	ELEMENTS OF BUSINESS	100	33	–	–	33	100
043	ELEMENTS OF BOOK-KEEPING & ACCOUNTANCY	100	33	–	–	33	100
044	TYPE WRITING ENGLISH OR HINDI	25	08	75	25	33	100
045	HOME SCIENCE	75	25	25	08	33	100
046	INFORMATION TECHNOLOGY	40	13	60	20	33	100
050	AGRICULTURE	60	40	–	–	33	100

CODE	NAME OF SUBJECT	THEORY MAXIMUM MARKS	THEORY MINIMUM PASS MARKS	PRACTICAL MAXIMUM MARKS	PRACTICAL MINIMUM MARKS	ASSESMENT	INTERNAL ASSESMENT MINIMUM MARKS	TOTAL MINIMUM PASS MARKS	TOTAL MAXIMUM PASS MARKS	REMARKS
052	ITES	30	10	50	16	20	07	33	100	
053	Automotive	30	10	50	16	20	07	33	100	
054	Retail	30	10	50	16	20	07	33	100	
055	Health Care	30	10	50	16	20	07	33	100	
056	Security	30	10	50	16	20	07	33	100	

अंक की व्यवस्था लागू है। परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु इन विषयों में लिखित व प्रयोगात्मक भाग में कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगें। परीक्षार्थी को नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा लिखित एवं प्रयोगात्मक भाग में मिलाकर 25% अंक प्राप्त किये गये हों।

(viii) परीक्षार्थी को प्रदान किया गया कृपांक सारणीयन पंजिका में अंकित किया जायेगा किन्तु प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र में इसे प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। इसी भाँति श्रेणी कृपांक (ग्रेटिस) प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा किन्तु इसे सारणीयन पंजिका में प्रदर्शित किया जायेगा। प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र के पृष्ठ भाग पर तत्सम्बन्धी नियम का उल्लेख किया जायेगा।

(ix) हाईस्कूल परिषदीय परीक्षा के विभिन्न विषयों हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं–

CODE	NAME OF THE SUBJECT	THEORY	PRACTICAL	PROJECT	INTERNAL ASSESSMENT (IA)	MAXIMUM MARKS	MINIMUM MARKS
001	HINDI	80	–	–	20	100	33
003	GUJRATI	80	–	–	20	100	33
004	URDU	80	–	–	20	100	33
005	PUNJABI	80	–	–	20	100	33
006	BENGALI	80	–	–	20	100	33
021	ENGLISH	80	–	–	20	100	33
025	NEPALI	80	–	–	20	100	33
028	SANSKRIT	80	–	–	20	100	33
031	MATHEMATICS	80	–	–	20	100	33
032	HOME SCIENCE (ONLY FOR GIRLS)	70	30	–	–	100	33
033	SCIENCE	80	–	–	20	100	33
034	SOCIAL SCIENCE	80	–	–	20	100	33
035	HINDUSTANI MUSIC VOCAL	30	50	–	20	100	33
036	HINDUSTANI MUSIC MELODIC INSTRUMENTAL	30	50	–	20	100	33
037	HINDUSTANI MUSIC PERCUSSION INSTRUMENTAL	30	50	–	20	100	33
038	CARNATIC MUSIC VOCAL	30	50	–	20	100	33
039	CARNATIC MUSIC MELODIC INSTRUMENTAL	30	50	–	20	100	33
040	CARNATIC MUSIC PERCUSSION INSTRUMENTAL	30	50	–	20	100	33
041	PAINTING	30	50	–	20	100	33
042	ELEMENTS OF BUSSINESS	70	30	–	–	100	33
043	ELEMENTS OF BOOK KEEPING & ACCOUNTANCY	70	–	30	–	100	33
044	TYPE WRITING ENGLISH OR HINDI	25	75	–	–	100	33
045	HOME SCIENCE	70	30	–	–	100	33
046	INFORMATION TECHNOLOGY	50	50	–	–	100	33
050	AGRICULTURE	50	50	–	–	100	33
052	IT/ITES	30	50	–	20	100	33
053	AUTOMOTIVE	30	50	–	20	100	33
054	RETAIL	30	50	–	20	100	33
055	HEALTH CARE	30	50	–	20	100	33
056	SECURITY	30	50	–	20	100	33
057	TOURISM & HOSPITALITY	30	50	–	20	100	33
058	BEAUTY & WELLNESS	30	50	–	20	100	33
059	PHYSICAL EDUCATION	50	50	–	–	100	33
060	AGRICULTURE	30	50	–	20	100	33
061	ELECTRONIC & HARDWARE	30	50	–	20	100	33
062	MULTISKILLING	30	50	–	20	100	33
063	PLUMBER	30	50	–	20	100	33

057	Tourism & Hospitality	30	10	50	16	20	07	33	100	
058	Beauty & Wellness	30	10	50	16	20	07	33	100	
059	Physical Education	70	23	30	10	-	-	33	100	
060	Agriculture	30	10	50	16	20	07	33	100	
061	Electronic & Hardware	30	10	50	16	20	07	33	100	
062	Multiskilling	30	10	50	16	20	07	33	100	
063	Plumber	30	10	50	16	20	07	33	100	

अध्याय–तेरह
विनियम 6
का परिष्कार

2. मूल विनियम के अध्याय तेरह में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान विनियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित विनियम
6– कक्षा 9 तथा कक्षा 10 स्तर पर विज्ञान, गृह विज्ञान एवं अन्य प्रयोगात्मक विषयों का प्रयोगात्मक विषयक कार्य केवल विद्यालय स्तर पर होगा तथा इसका आन्तरिक मूल्यांकन अंकों के आधार पर विद्यालय स्तर पर होगा जिसका विधिवत् उल्लेख अंक–पत्र में होगा। परिषद द्वारा इन विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षायें सम्पादित नहीं होंगी।	6– कक्षा 9 तथा कक्षा 10 स्तर पर विज्ञान, गृह विज्ञान एवं अन्य प्रयोगात्मक विषयों का प्रयोगात्मक विषयक कार्य केवल विद्यालय स्तर पर होगा तथा इसका आन्तरिक मूल्यांकन अंकों के आधार पर विद्यालय स्तर पर होगा जिसका विधिवत् उल्लेख प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र में होगा। परिषद द्वारा इन विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षायें सम्पादित नहीं होंगी, किन्तु व्यावसायिक शिक्षा विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा ली जायेगी।

अध्याय–चौदह
विनियम 4
का परिष्कार

2. मूल विनियम के अध्याय चौदह में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान विनियम 4 के खण्ड (ii), (iv), (vi), (vii) तथा (viii) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित खण्ड
(ii) परीक्षा के प्रत्येक विषय के अर्हक अंक 33% होंगे। इण्टरमीडिएट परीक्षा के उन विषयों में जिनमें प्रेक्टिकल भी शामिल होता है, उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक और प्रेक्टिकल दोनों में अलग–अलग 33% अंक प्राप्त होने के साथ–साथ कुल अंक भी 33% होने चाहिए।	(ii) परीक्षा के प्रत्येक विषय के अर्हक अंक 33% होंगे। प्रत्येक विषय के सभी भागों (सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट/आन्तरिक मूल्यांकन) में अलग–अलग 33% अंक प्राप्त होने के साथ–साथ कुल अंक भी 33% होने चाहिये। प्रयोगात्मक भाग हेतु निर्धारित अंकों में से 50% अंक की परीक्षा बाह्य परीक्षक द्वारा ली जायेगी जबकि शेष 50% अंक की परीक्षा आन्तरिक परीक्षक/विषयाध्यापक द्वारा ली जायेगी। बाह्य व आन्तरिक दोनों परीक्षकों द्वारा प्रदत्त अंकों को जोड़कर प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक प्रदान किये जायेंगें किन्तु व्यावसायिक शिक्षा विषयों में व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी। प्रोजेक्ट वाले विषयों में प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन आन्तरिक परीक्षक/विषयाध्यापक द्वारा ही किया जायेगा।
(iv) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए किसी विद्यार्थी को बाह्य परीक्षा के सभी पाँच	(iv) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए किसी विद्यार्थी को बाह्य

विषयों में 'ई' से उच्च श्रेणी (अर्थात कम से कम 33% अंक) प्राप्त करनी होगी बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे। प्रायोगिक कार्य वाले विषय के मामले में विद्यार्थी को अलग से 33% अंक सिद्धान्त में और 33% अंक प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा, उस विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुल 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

(क) व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्मिलित विद्यार्थी को परिषद् द्वारा दिये जाने वाला अकादमिक प्रमाण पत्र–सह–अंक पत्र के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण होने पर सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउन्सिल के सहयोग से दक्षता आधारित प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा। यदि व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्मिलित विद्यार्थी अकादमिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो किन्तु व्यावसायिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण हो तो अकादमिक रूप से अनुत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी को भी व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउन्सिल के सहयोग से दक्षता आधारित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी के मामले में अग्रेत्तर व्यवस्था यह होगी कि यदि सम्बन्धित विद्यार्थी अकादमिक रूप से अनुत्तीर्ण हो किन्तु व्यावसायिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण हो, तो अगले शैक्षिक सत्र में विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा विषय को छोड़कर केवल 04 अन्य विषय में ही सम्मिलित होगा। व्यावसायिक शिक्षा के विषय के प्राप्तांक अगले शैक्षिक सत्र हेतु अग्रेषित/अग्रेनीत किये जायेंगे। अगले सत्र में अकादमिक रूप से अन्य 04 विषयों में उत्तीर्ण होने पर प्रमाणपत्र–सह–अंक पत्र में विगत सत्र के व्यावसायिक शिक्षा विषय के अग्रेषित/अग्रेनीत किये गये प्राप्तांक अंकित किये जायेंगें तथा तदनुसार परीक्षाफल तैयार किया जायेगा।

(vi) परीक्षार्थी को किन्ही दो विषयों में अधिकतम् 08 अंकों का कृपांक देय होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों में प्रयोगात्मक एवं सैद्धान्तिक भागों में पृथक–पृथक 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही कृपांक देय होगा। कृपांक के लिए कुल प्राप्तांक (Grand Total) न्यूनतम् 33 प्रतिशत होना अनिवार्य है (70, 50 एवं 30 अंकों की स्थिति में 25% क्रमशः 17, 12 एवं 07 अंक निर्धारित किया जाता है)।

(vii) परीक्षार्थी को प्रदान किया गया कृपांक सारणीयन पंजिका में अंकित किया जायेगा किन्तु अंक पत्र में इसे प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। इसी भाँति श्रेणी कृपांक (ग्रेटिस) अंक पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। किन्तु सारणीयन पंजिका में प्रदर्शित किया जायेगा। अंक पत्र के पृष्ठ भाग पर तत्सम्बन्धी नियम का उल्लेख किया जायेगा।

(viii) इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा वर्ष 2009 से विभिन्न विषयों हेतु अधिकतम व न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं–

CODE	NAME OF SUBJECT	THEORY MARKS MAXIMUM	PASS MARKS MINIMUM	PRACTICAL/IA MAXIMUM MARKS	PRACTICAL/IA MINIMUM MARKS	TOTAL MINIMUM PASS MARKS	TOTAL MARKS MAXIMUM
101	HINDI	100	33	–	–	33	100
102	HINDI (AG)	100	33	–	–	33	100
103	ENGLISH	100	33	–	–	33	100
104	ENGLISH (AG)	100	33	–	–	33	100
105	SANSKRIT	100	33	–	–	33	100
106	URDU	100	33	–	–	33	100
107	PUNJABI	100	33	–	–	33	100

परीक्षा के सभी पाँच विषयों में 'ई' से उच्च श्रेणी (अर्थात कम से कम 33% अंक) प्राप्त करनी होगी। बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे। प्रत्येक विषय के सभी भागों (सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट/आन्तरिक मूल्यांकन) में अलग–अलग 33% अंक प्राप्त होने के साथ–साथ कुल अंक भी 33% होने चाहिये।

(क) व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्मिलित विद्यार्थी को परिषद् द्वारा दिये जाने वाला अकादमिक प्रमाण पत्र–सह–अंक पत्र के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण होने पर सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउन्सिल के सहयोग से दक्षता आधारित प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा। यदि व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्मिलित विद्यार्थी अकादमिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो किन्तु व्यावसायिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण हो तो अकादमिक रूप से अनुत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी को भी व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउन्सिल के सहयोग से दक्षता आधारित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी के मामले में अग्रेत्तर व्यवस्था यह होगी कि यदि सम्बन्धित विद्यार्थी अकादमिक रूप से अनुत्तीर्ण हो किन्तु व्यावसायिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण हो, तो अगले शैक्षिक सत्र में विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा विषय को छोड़कर केवल 04 अन्य विषय में ही सम्मिलित होगा। व्यावसायिक शिक्षा के विषय के प्राप्तांक अगले शैक्षिक सत्र हेतु अग्रेषित/अग्रेनीत किये जायेंगे। अगले सत्र में अकादमिक रूप से अन्य 04 विषयों में उत्तीर्ण होने पर प्रमाणपत्र–सह–अंक पत्र में विगत सत्र के व्यावसायिक शिक्षा विषय के अग्रेषित/अग्रेनीत किये गये प्राप्तांक अंकित किये जायेंगें तथा तदनुसार परीक्षाफल तैयार किया जायेगा।

vi) परीक्षार्थी को किन्ही दो विषयों में अधिकतम् 08 अंकों का कृपांक (Grace) देय होगा। प्रत्येक विषय में सभी भागों (सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट/ आन्तरिक मूल्यांकन) में पृथक–पृथक 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही कृपांक देय होगा। कृपांक के लिए कुल प्राप्तांक (Grand Total) न्यूनतम् 33 प्रतिशत होना अनिवार्य है (70, 50 एवं 30 अंकों की स्थिति में 25% क्रमशः 17, 12 एवं 07 अंक निर्धारित किया जाता है)।

(vii) परीक्षार्थी को प्रदान किया गया कृपांक सारणीयन पंजिका में अंकित किया जा श्रेणयेगा किन्तु प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र में इसे प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। इसी भाँति श्रेणी कृपांक (ग्रेटिस) प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। किन्तु सारणीयन पंजिका में प्रदर्शित किया जायेगा। प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र के पृष्ठ भाग पर तत्सम्बन्धी नियम का उल्लेख किया जायेगा।

(viii) इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा के विभिन्न विषयों हेतु अधिकतम व न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं–

SCODE	NAME OF SUBJECT	THEORY		PRACTICAL		PROJECT		INTERNAL ASSESSMENT (IA)		TOTAL	
		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
101	HINDI	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
102	HINDI (AG)	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
103	ENGLISH	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
104	ENGLISH (AG)	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
105	SANSKR	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33

108	BENGALI	100	33	–	–	33	100
109	NEPALI	100	33	–	–	33	100
110	HISTORY	80	26	20	07	33	100
111	GEOGRAPHY	70	23	30	10	33	100
112	ECONOMICS	80	26	20	07	33	100
113	HOME SCIENCE	70	23	30	10	33	100
114	HINDUSTANI MUSIC VOCAL	30	10	70	23	33	100
115	HINDUSTANI MUSIC MELODIC INSTRUMENTAL	30	10	70	23	33	100
116	HINDUSTANI MUSIC PERCUSSION INSTRUMENTAL	30	10	70	23	33	100
117	CARNATIC MUSIC VOCAL	30	10	70	23	33	100
118	CARNATIC MUSIC MELODIC INSTRUMENTAL	30	10	70	23	33	100
119	CARNATIC MUSIC PERCUSSION INSTRUMENTAL	30	10	70	23	33	100
120	DRAWING AND PAINTING	30	10	70	23	33	100
121	POLITICAL SCIENCE	100	33	–	–	33	100
122	PSYCHOLOGY	70	23	30	10	33	100
123	SOCIOLOGY	80	26	20	07	33	100
124	EDUCATION	100	33	–	–	33	100
125	LOGIC	100	33	–	–	33	100
126	MILITARY SCIENCE	70	23	30	10	33	100
127	GEOLOGY	70	23	30	10	33	100
128	MATHEMATICS	100	33	–	–	33	100
129	PHYSICS	70	23	30	10	33	100
130	CHEMISTRY	70	23	30	10	33	100
131	BIOLOGY	70	23	30	10	33	100
132	ACCOUNTANCY (FSA OR C.A)	80	26	20	07	33	100
133	BUSINESS STUDIES	100	33	–	–	33	100
134	AGRONOMY FIRST PAPER	50	16	50	17	33	100
135	AGRICULTURAL BOTANY	50	16	50	17	33	100
136	AGRICULTURAL PHYSICS & CLIMATOLOGY	50	16	50	17	33	100
137	AGRICULTURAL ENGINEERING	50	16	50	17	33	100
138	AGRICULTURAL MATHS OR ELEMENTARY STATISTICS	50	17	–	–	17	50
139	AGRONOMY (SIX PAPER FOR PART IT	50	16	50	17	33	100

106	URDU	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
107	PUNJABI	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
108	BENGALI	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
109	NEPALI	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
110	HISTORY	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
111	GEOGRAPHY	70	23	30	10	–	–	–	–	100	33
112	ECONOMICS	80	26	–	–	20	07	–	–	100	33
113	HOME SCIENCE	70	23	30	10	–	–	–	–	100	33
114	HINDUSTANI MUSIC VOCAL	30	10	70	23	–	–	–	–	100	33
115	HINDUSTANI MUSIC MELODIC INSTRUMENTAL	30	10	70	23	–	–	–	–	100	33
116	HINDUSTANI MUSIC PERCUSSION INSTRUMENTAL	30	10	70	23	–	–	–	–	100	33
117	CARNATIC MUSIC VOCAL	30	10	70	23	–	–	–	–	100	33
118	CARNATIC MUSIC MELODIC INSTRUMENTAL	30	10	70	23	–	–	–	–	100	33
119	CARNATIC MUSIC PERCUSSION INSTRUMENTAL	30	10	70	23	–	–	–	–	100	33
120	DRAWING & PAINTING	30	10	70	23	–	–	–	–	100	33
121	POLITICAL SCIENCE	80	26	–	–	20	07	–	–	100	33
122	PSYCHOLOGY	70	23	30	10	–	–	–	–	100	33

	TWO AGR)						
140	AGRICULTURAL ECONOMICS	50	17	–	–	17	50
141	AGRICULTURAL ZOOLOGY	50	16	50	17	33	100
142	ANIMALHUSBANDARY	50	16	50	17	33	100
143	AGRICULTURAL CHEMISTRY	50	16	50	17	33	100
144	COMPUTER	70	23	30	10	33	100

CODE	NAME OF SUBJECT	THEORY MAXIMUM MARKS	THEORY MINIMUM PASS MARKS	PRACTICAL MAXIMUM MARKS	PRACTICAL MINIMUM MARKS	INTERNAL ASSESMENT MAXIMUM MARKS	INTERNAL ASSESMENT MINIMUM MARKS	TOTAL MINIMUM PASS MARKS	TOTAL MAXIMUM PASS MARKS
145	ITES	30	10	50	16	20	07	33	100
146	Automotive	30	10	50	16	20	07	33	100
147	Retail	30	10	50	16	20	07	33	100
148	Health care	30	10	50	16	20	07	33	100
149	Security	30	10	50	16	20	07	33	100
150	Tourism & Hospitality	30	10	50	16	20	07	33	100
151	Beauty & wellness	30	10	50	16	20	07	33	100
152	Physical Education	70	23	30	10	–	–	33	100
153	Agriculture	30	10	50	16	20	07	33	100
154	Electronic & Hardware	30	10	50	16	20	07	33	100
155	Multiskilling	30	10	50	16	20	07	33	100
156	Plumber	30	10	50	16	20	07	33	100

123	SOCIOLOGY	80	26	–	–	20	07	–	–	100	33
124	EDUCATION	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
125	LOGIC	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
126	MILITARY SCIENCE	70	23	30	10	–	–	–	–	100	33
127	GEOLOGY	70	23	30	10	–	–	–	–	100	33
128	MATHEMATICS	80	26	–	–	–	–	20	07	100	33
129	PHYSICS	70	23	30	10	–	–	–	–	100	33
130	CHEMISTRY	70	23	30	10	–	–	–	–	100	33
131	BIOLOGY	70	23	30	10	–	–	–	–	100	33
132	ACCOUNTANCY	80	26	–	–	20	07	–	–	100	33
133	BUSSINESS STUDIES	80	26	–	–	20	07	–	–	100	33
134	AGRONOMY FIRST PAPER	50	16	50	17	–	–	–	–	100	33
135	AGRICULTURAL BOTANY	50	16	50	17	–	–	–	–	100	33
136	AGRICULTURAL PHYSICS & CLIMATOLOGY	50	16	50	17	–	–	–	–	100	33
137	AGRICULTURAL ENGINEERING	50	16	50	17	–	–	–	–	100	33
138	AGRICULTURAL MATHS & ELMENTARY STATISTICS	50	17	–	–	–	–	–	–	50	17
139	AGRONOMY (SIX PAPER FOR PART TWO AG)	50	16	50	17	–	–	–	–	100	33
140	AGRICULTURAL ECONOMICS	50	17	–	–	–	–	–	–	50	17
141	AGRICULTURAL ZOOLOGY	50	16	50	17	–	–	–	–	100	33
142	ANIMAL HUSBA	50	16	50	17	–	–	–	–	100	33

	NDARY										
143	AGRICU LTURAL CHEMIS TRY	50	16	50	17	–	–	–	–	100	33
144	COMPU TER	70	23	30	10	–	–	–	–	100	33
145	ITES	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
146	AUTOM OTIVE	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
147	RETAIL	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
148	HEALTH CARE	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
149	SECURIT Y	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
150	TOURIS M & HOSPIT ALITY	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
151	BEAUTY & WELLNE SS	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
152	PHYSIC AL EDUCAT ION	70	23	30	10	–	–	–	–	100	33
153	AGRICU LTURE	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
154	ELECTR ONIC & HARDW ARE	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
155	MULTIS KILLING	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
156	PLUMB ER	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट/465–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवं प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जुलाई, 2022 ई0 (आषाढ़ 25, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 20, 2022

No. 168/UHC/Admin.A/2022--In exercise of the powers conferred by Section 16 (2) of the Advocates Act, 1961 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Uttarakhand, Nainital, hereby makes the following amendments in Appendix-B of "Uttarakhand High Court (Designation of Senior Advocates) Rules, 2018"; in the light of Judgment dated 12.10.2017 and order dated 04.05.2022 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Misc. Application No. 709 of 2022 in WP (C) No. 454 of 2015 titled as Indira Jaising Vs. Supreme Court of India & Ors. :-

Existing Rule

S. No.	Matter	Points
1.	Number of years of practice of the Applicant Advocate from the date of enrollment. [10 points for 10-20 years of practice, 20 points for practice beyond 20 years]	20 points
4.	Test of Personality & Suitability on the basis of interview/interaction	20 points

Amended Rule

S. No.	Matter	Points
1.	Number of years of practice of the Applicant Advocate from the date of enrollment [***10 points for 10 years of Practice and one mark each shall be allocated for every year of practice between ten to twenty years,*** 20 points for practice beyond 20 years]	20 points
4.	Test of Personality & Suitability on the basis of interview/interaction	***25 points***

These amendments shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA

NOTIFICATION

May 21, 2022

No. 169/XIV/32/Admin.A/2008--Shri Mukesh Chandra Arya, Chief Judicial Magistrate, Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 14 days *w.e.f.* 25.01.2022 to 07.02.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड

कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र

17 मई, 2022 ई0

पत्र संख्या–क–1264/1–13–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग–1 की विज्ञप्ति सं0–570/X-1-2022-04(07)/2022, दिनांक 17–5–2022 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड, सर्वोच्च वेतनमान (वेतन मेट्रिक्स के स्तर–17, रू0 2,25000) का कार्यभार अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 17–5–2022 के अपरान्ह में ग्रहण कर लिया गया है।

विनोद कुमार,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),

उत्तराखण्ड।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1591/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UP290995 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 85VFJ39274P इंजन न0 B24361SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री जयचन्द पुत्र श्री कृष्णचन्द निवासी–मकान संख्या 251 चन्दनी बनबसा चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UP290995 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 85VFJ39274P इंजन न0 B24361SVF को तत्काल प्रभाव से

आदेश

27 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1516/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA031885 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 92VFJ63517P इंजन न0 B71432SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह चौधरी निवासी-नायकगोठ टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 12/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.04.2022 को वाहन संख्या UA031885 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 92VFJ63517P इंजन न0 B71432SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

27 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1611/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UP291265 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 89VFJ55692P इंजन न0 B62374SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री दिनेश पंत पुत्र श्री पी.डी. पंत निवासी–पिथौरागढ़ रोड टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.04.2022 को वाहन संख्या UP291265 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 89VFJ55692P इंजन न0 B62374SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

27 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1614/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UA033922 (HGV) मॉडल 2005 चैचिस 85VFJ39725P इंजन न0 B74566SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामिनी ओमवती पाल पत्नी श्री शंकर लाल पाल निवासी–बांके लाल मोहल्ला वार्ड नम्बर 9 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.04.2022 को

आदेश

29 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1639/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या URN0339 (HGV) मॉडल 1985 चैचिस 727CFJ556 इंजन न0 64635A इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री जयवीर गिरी पुत्र श्री अनोखे गिरी निवासी–मकान संख्या 156 वार्ड नम्बर 03 वर्मा लाइन टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.04.2022 को वाहन संख्या URN0339 (HGV) मॉडल 1985 चैचिस 727CFJ556 इंजन न0 64635A को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1640/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UA03-1969 (HGV) मॉडल 2003 चैचिस 373341JWZ005322 इंजन न0 697TC45HWZ113164 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री धर्मानन्द पाण्डेय पुत्र श्री लालमनी पाण्डेय निवासी–नेशनल टायस वर्क्स, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.04.2022 को वाहन संख्या UA03-1969 (HGV) मॉडल 2003 चैचिस 373341JWZ005322 इंजन न0 697TC45HWZ113164 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1644/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UTF-6192 (HGV) मॉडल 1999 चैचिस VPJ9984E इंजन न0 6816SA इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामिनी श्रीमती ममता पत्नी स्व0 श्री सतीश पाल निवासी–मकान संख्या 81 घसियारा मण्डी वार्ड नम्बर 6 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.04.2022 को

आदेश

30 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1645/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK03CA0256 (MGV) मॉडल 2010 चैचिस MBUZT54XHB0149355 इंजन न0 SLTHB142732 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री जय सिंह पुत्र श्री जमना प्रसाद निवासी–मकान संख्या 1, पाल हाउस, घसियारामण्डी वार्ड नम्बर 06 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.04.2022 को वाहन संख्या UK03CA0256 (MGV) मॉडल 2010 चैचिस MBUZT54XHB0149355 इंजन न0 SLTHB142732 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट/465–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवं प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, खड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जुलाई, 2022 ई0 (आषाढ़ 25, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पैन कार्ड AANPQ7020K में मेरा नाम ZUBI JAMIL AHAMAD QURASHI D/O JAMIL AHAMAD QURASHI दर्ज हो गया हैं जबकि मेरा वास्तविक नाम AISHA NAAZ हैं भविष्य में मुझे AISHA NAAZ D/O JAMIL AHAMAD के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

AISHA NAAZ D/O JAMIL AHAMAD
निवासी 444, सोत मोहल्ला सिटी पब्लिक कालेज
रुड़की।

सूचना

मेरे द्वारा State Bank of India के Share Certificate 1st Holder की हैसियत से लिए गए थे, जिसका Folio No. 01130189 है, इन शेयर्स में मेरा नाम त्रुटिवश Madhu Bala दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम Madhu Varshney है। मेरे समस्त अभिलेखों में मेरा नाम Madhu Varshney ही है। भविष्य में मुझे Madhu Varshney के नाम से ही जाना, पहचाना, पुकारा जाएगा।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Madhu Varshney W/o
Sh. Rakesh Kumar Varshney
R/o 21-Tilak Marg,
Rishikesh, Dehradun.

कार्यालय पंचायत द्वाराहाट जिला अल्मोडा

विज्ञप्ति

16 अगस्त, 2021 ई0

पत्रांक 136/सेप्टेज मैनेजमेन्ट–उपविधि/2021–22–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा–301 के अंतर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पंचायत द्वाराहाट की बोर्ड बैठक दिनांक 14 जून, 2021 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेंट" उपनियम–2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिससे व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है।

अतः लोक हित में सुविधा सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम-2021 में यदि किसी संस्था व्यक्ति, व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग, को कोई आपित्त/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत द्वाराहाट जिला अल्मोडा में प्रस्तुत कर सकता है, समय पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा। जो निम्नवत् हैं०:-

परिभाषाः-

1०:-संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः- यह उपनियम नगर पंचायत द्वाराहाट फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम-2021, नियमावली कहलायेगी जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी। यह उपनियम नगर पंचायत द्वाराहाट की सीमा के भीतर लागू होंगे।

नगर पंचायतः-नगर पंचायत का आशय नगर पंचायत द्वाराहाट जिला अल्मोडा के 04 वार्डो की सीमा से हैं।

3-अधिशासी अधिकारीः- अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पंचायत द्वाराहाट के कार्यपालक अधिकारी से है।

4-अध्यक्षः- अध्यक्ष का आशय नगर पंचायत द्वाराहाट के निर्वाचित बोर्ड से हैं, बोर्ड के कार्यकलाप समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर प्रशासक/ उपजिलाधिकारी ,अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से हैं।

5- सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेलः-सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पंचायत द्वाराहाट में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जो कि सप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा। जिसके अध्यक्ष उपजिलाधिकारी द्वाराहाट होंगे तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत द्वाराहाट सदस्य होंगे और अपर सहायक अभियन्ता जल संस्थान, सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0विभाग द्वाराहाट तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौचर द्वाराहाट, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हल्द्वानी, तथा एस0 एम0 सी0 परामर्श हेतु आमंत्रित अन्य तकनीकि विशेषज्ञ नामित सदस्य होंगे।

1-प्रसंगः- राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक गड्ढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1- राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीतिः-

इस महत्पूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित वने रहें एवं अच्छी सफाई भी बनी रहें तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ट स्वास्थय स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा, निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इस सेवाओं का समस्त क्षेत्रों में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एक वास्तविक प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में वनी रह सकें।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्धक प्रोटोकालः-

माननीय एन0जी0टी आदेश सं0-10/2005 दिनांक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं। जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है। "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा" यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका [illegible] उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को [illegible]

विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के सम्बन्ध से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबन्ध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सकें। आदेश सं0. 597/iv;(2)-श0वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सैप्टिक प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिक प्रबन्धन बना रहे जो कि एकत्रीकरण,परिवहन,उपचार, सैप्टिक/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के हैं। कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उन्नीकरण कर सकें और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन कि लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सैल का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत द्वाराहाट पेयजल निगम, जल संस्थान होंगे।

2-नगरीय उपकानून/ "फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितीकरण":- सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा0सं-597/iv (2)-श0वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय-2 पर शासन संशोधित नियम या नियमावली नगर पंचायत द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा नियमित ढांचों रिक्त करने एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत द्वाराहाट के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र:- इस नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य निम्नवत् हैं:-

1. निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गड्ढे परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि स्लेज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इस निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें।
3. उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है।
5. निजि और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना।

4.एकत्रीकरण परिवहन इलाज सैप्टिक के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना।

4-(1) सैप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:-

सैप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार-बार के आखिर में जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आये,

जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का उपयोग (जो नगर पंचायत द्वाराहाट द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहियें।

..... सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैंक के खाली करते समय और सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

4 (2) सैप्टेज/फीकल स्लज का परिवहन

1- फिकल स्लज और सैप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे जैसा कि समय-समय पर सैप्टेज मैनेजमेन्ट से (एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(2) फिकल स्लज और सेप्टेज फिकल निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:-

(अ) पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेंगे फिकल स्लज और सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा और फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु तालाबन्द रहेगा। और लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेंगे।

(ब) कोई भी टैंक और उपकरण जो कि फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा।

4(3) सैप्टेज का निष्पादन और इलाज-राज्य सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पंचायत द्वाराहाट की अपनी एक इकाई होगी, जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा।

5- सुरक्षा उपाय:-

(1) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें।

(2) फिकल स्लज और सैप्टिज ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करें:-

समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोक्रिन,लोयर,रबर बूट, चेहरे का मास्क , आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मैनुवल स्केवेंजर और उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है।

समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा टियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी

. सैप्टिक टैंक पिट लैट्रिन में जब काम चल रहा हो उस समय धुमपान पुर्णतः वर्जित है।

. मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नही करेंगे। और आच्छादित टैंक को आना जाना रखेंगे। जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

. बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहें, कर्मचारी सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है। या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

. उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एवं विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना होगा।

6- सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन-

6.1 नगर पंचायत, द्वाराहाट वाहन को दर्ज करेगा और इसका लाइसेन्स निर्गत करेगा, निजी व्यवसायियों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है, तथा मानकों के अनुरूप है, सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण करने हेतु नगर पंचायत, द्वाराहाट के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ वाहन का परमिट व परमिट की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

6.2 नगर पंचायत, द्वाराहाट सीमान्तगत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा। जो व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकालों में पंजीकृत नही है।

सारणी- 1 पंजीकरण व्यय

अ-प्रारम्भिक पंजीकरण-	रू0 2000.00 प्रतिवाहन
ब-वार्षिक नवीनीकरण-	रू0 1500.00 प्रतिवाहन
स-नाम परिवर्तन/स्वामी का परिवर्तन-	रू0 1000.00 प्रतिवाहन
द-अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार-	रू0 1500.00 प्रतिवाहन

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचय-

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिका जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगरपालिका में फीकल स्लज और सैप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है, जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 नगर पंचायत, द्वाराहाट अपनी लागत से संशोधित करेगा कि समय-समय इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है।

7.3 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जाये जो निम्नवत है-

(अ)- उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पंचायत द्वाराहाट द्वारा वसूला जायेगा या नगर पंचायत, द्वाराहाट के कोष में जमा किया जायेगा। जो कि सम्बन्धित भवन/सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा।

सारणी-2 उपभोक्ता लागत

क्र0सं0	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे हेतु निर्धारित	मासिक दण्ड 1-5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनशैड वाला मकान	1000.00	कम से कम 2-3 वर्ष में एकबार जब 2 टैंक होतें के 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार	50.00
2	अन्य समस्त आवास	2500.00		100.00
3	दुकान	2500.00		125.00
4	सरकारी/निजी कार्यालय	2000.00		250.00
5	बैंक	3500.00		350.00
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000.00		500.00
7	रेस्टोरेन्ट	2000.00		
8	होटल/गेस्ट हाउस) 1 से 10 कमरें(	3500.00		
9	धर्मशाला)1 से 25 कमरें(	3500.00		
10	सरकारी स्कूल कॉलेज/	2000.00		
11	निजी स्कूल कॉलेज/	2500.00		
		2000.00		

15	सरकारी हास्पिटल	3000.00		
16	नर्सिंग होम/क्लीनिक	3000.00		
17	पैथोलॉजी लैब	3000.00		
18	निजी अस्पताल 20 बैड तक	3500.00		
19	अन्य	3000.00		

नोट- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत,द्वाराहाट द्वारा निर्गत किये जायेगे।

2 मल निस्तारण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है। (जैसा कि नगर पंचायत, द्वाराहाट द्वारा स्वीकृत है)

3 उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी।

8-मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:-

8.1 कोई भी व्यक्ति जो एस0एस0सी0 (सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल)/नगर पंचायत, द्वाराहाट द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय, गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माने से प्राप्त धनराशि नगर पंचायत कोष में जमा होगी।

8.3 नगर पंचायत, द्वाराहाट क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी, जो कि सैप्टिक टैंक बायोडाईजेस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सैप्टिक का ईलाज।

9-दण्ड:-

दण्ड का ढाँचा उपकरण रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टेज ईलाल प्लांट का/आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रेशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना।

सारणी-3 दण्ड

क्र0सं0	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एकबार मल निस्तारण	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे बार पकडी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की शोचनीय सेवा की शिकायत	2500.00	5000.00	तीन महिने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज/फिकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में	1000.00	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000.00	2000.00	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना

शास्ति/दण्ड

नगर पंचायत, द्वाराहाट जिला-अल्मोड़ा की सीमान्तर्गत " प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" के अनुपालन हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10/2015 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करतें हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लघंन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्ध पाये जाने पर रू0 5000.00 (रू0पाच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा। उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रू0 5000.00 (रू0 पाच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू0 100.00 (रू0 एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

शिखा आर्य,

मुकेश लाल साह,

कार्यालय नगर पालिका परिषद बड़कोट–उत्तरकाशी

"सार्वजनिक सूचना"

18 दिसम्बर, 2020 ई0

पत्रांक 1002/लाइसेन्स शुल्क/उपनियम/2018–19–सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नोटिफाइट एरिया, उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 298 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद बड़कोट जनपद उत्तरकाशी द्वारा उपरोक्त व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क उपनियम–2018 तैयार की गयी है! जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 300 (1) के अन्तर्गत जन सामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है!

अतः समाचार पत्र मे उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 14 दिन के अंदर लिखित सुझाव एवं आपतिया अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बड़कोट जनपद उत्तरकाशी को प्रेसित की जा सकेगी! निर्धरित अवधि के उपरांत प्राप्त आपतियों एवं सुझावों पर विचार किया जाना संभव नही होगा!

व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क उपनियम–2018

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(2) मे प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद बड़कोट जनपद उत्तरकाशी दावरा उपरोकत व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क उपनियम–2018 तेयार की गयी है! जो व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क उपनियम–2018 कहलाएगी!

उक्त उपनियम निकाय की आय मे वृद्धि एव व्यवसायिक नियंत्रण हेतु तेयार किया गया है, जो नगर पालिका बड़कोट की सीमाक्षेत्र अंतर्गत किरियान्वित होगा, एवं निम्न व्यसायो पर प्रतेक वितीय वर्ष के माह अप्रेल से 31 मार्च तक की अवधि हेतु लाइसेन्स शुल्क के रूप मे निम्न सूची अनुसार निर्धरित एवं देय होगा!

अनुसूची

क्रं0सं0	व्यवसाय विवरण	दर(प्रति वर्ष)
1	होटल:.	
	(क) होटल खाना	रूपये-400.00
	(ख) होटल चाउमीन /चाय	रूपये-200.00
2	रेस्टोरेन्ट	
	(क) लॉज 01 बेड से 10 बेड तक	रूपये-500.00
	(ख) लॉज 01 बेड से 20 बेड तक	रूपये-1000.00
	(ग़) लॉज 01 बेड से 40 बेड तक	रूपये-1500.00
	(घ) लॉज 01 बेड से 60 बेड तक	रूपये-2000.00

3	मिष्ठान भण्डार:- (क) चाय मिष्ठान विक्रेता (ख) चाय नमकीन विक्रेता	 रूपये-400.00 रूपये-200.00
4	राशन विक्रेता:- (क) राशन विक्रेता/जनरल स्टोर (ख) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	 रूपये-350.00 रूपये-300.00
5	कपड़ा विक्रेता:- (क) क्लाथ इम्पोरियम (ख) रेडीमेड जनरल स्टोर (ग) कपड़ा विक्रेता, बर्तन एवं अन्य सामग्री विक्रेता	 रूपये-400.00 रूपये-300.00 रूपये-200.00
6	बर्तन विक्रेता	रूपये-300.00
7	इलैक्ट्रोनिक संबंधी विक्रेता (क) टी.वी, फ्रीज, वासिंग मसीन, गीजर आदि विक्रेता मरम्मकर्ता (ख) मोबाइल आदि विक्रेता (ग) विधुत सामग्री विक्रेता (घ) रेडियो घड़ी विक्रेता/मरम्मकर्ता	 रूपये-400.00 रूपये-300.00 रूपये-250.00 रूपये-200.00
8	कम्प्युटर - (क) कम्प्युटर सेंटर (ख) कम्प्युटर मरम्मकर्ता	 रूपये-400.00 रूपये-300.00
9	हार्डवेयर - (क) सीमेंट, सरिया विक्रेता (ख) सीमेंट, सरिया, ईट, रेट, पेंट, विक्रेता	 रूपये-500.00 रूपये-400.00
10	ग्रील एवं बक्सा निर्माता/ विक्रेता	रूपये-300.00
11	फर्नीचर- (क) फर्नीचर हाउस निर्माण (ख) फर्नीचर हाउस निर्माण	 रूपये-400.00 रूपये-300.00
12	सब्जी- (क) सब्जी विक्रेता	 रूपये-200.00
13	स्वर्णकार- (क) मालिक बिना कारीगर (ख) मालिक एवं 03 कारीगर सहित (ग) मालिक एवं 05 कारीगर सहित	 रूपये-300.00 रूपये-400.00 रूपये-500.00
14	टेलर्स- (क) स्वयं टेलर्स	 रूपये-150.00

	(ख) स्वयं के साथ 02 कर्मी सहित (ग) स्वयं के साथ 03 कर्मी सहित	रूपये-200.00 रूपये-400.00
15	बारबर (हेयर ड्रेसर) - (क) स्वयं बारबर (ख) स्वयं के साथ 02 कर्मी सहित (ग) स्वयं के साथ 03 कर्मी सहित	 रूपये-150.00 रूपये-200.00 रूपये-300.00
16	पुस्तक विक्रेता	रूपये-200.00
17	पुस्तक विक्रेता एवं फोटो स्टेट	रूपये-300.00
18	मेडिकल स्टोर मे क्लीनिक	रूपये-300.00
19	सूअर मीट विक्रेता	रूपये-1000.00
20	बकरा एवं मुर्गा मीट विक्रेता	रूपये-15.000.00
21	स्कूटर गेराज व मरम्मकर्ता	रूपये-300.00
22	मोटर गेराज मरम्मकर्ता	रूपये-500.00
23	मोटर विक्रेता एवं शोरुम	रूपये-2000.00
24	स्कूटर विक्रेता एवं शोरुम	रूपये-1000.00
25	कुकिंग एजेंसी	रूपये-500.00
26	पेट्रोल पंप एजेंसी	रूपये-3000.00
27	बैंक व्यवसाय लाइसेन्स	रूपये-2000.00
28	अंग्रेजी शराब की दुकान	रूपये-20000.00
29	कबाड़ एकत्रित करने वाले एवं भंडारण	रूपये-400.00
30	अन्य व्यवसाय	रूपये-300.00
31	जूस विक्रेता	रूपये-200.00
32	मोबाइल टावर	रूपये-3000.00
33	केबिल नेटवर्क सेंटर	रूपये-10.000.00
34	ट्यूशन/प्रशिक्षण सेंटर	रूपये-400.00
35	पान बीडी आदि विक्रेता	रूपये-100.00
36	छोटे दुकान (परचून)	रूपये-200.00
37	आटा चकी/आरा मसीन	रूपये-400.00
38	आटा चकी	रूपये-200.00
39	फोटो ग्राफर	रूपये-200.00
40	ब्यूटी पार्लर/ श्रृगांर सामान सहित	रूपये-200.00
41	उन/होज़री विक्रेता	रूपये-300.00
42	टायर पंचर	रूपये-100.00
43	टेंट हाउस	रूपये-500.00
44	प्राइवेट स्कूल	रूपये-1000.00
45	जिम सेंटर	रूपये-500.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) मे प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद बड़कोट जनपद उत्तरकाशी के व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क उपनियम/उपविधि मे से किसी भी धारा का उलङ्गंकर्ता को अंकन- 1000/-रुपए (एक हजार रुपए मात्र) तक का अर्थदण्ड लिया जा सकता है, तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात एसे प्रेयक दिन के लिए उलङ्घ्न जारी होने पर अंकन-100/-रुपए (एक सों रुपए मात्र) प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
बड़कोट–उत्तरकाशी।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
बड़कोट–उत्तरकाशी।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी

विज्ञप्ति

06 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांक 21/लोकस्वा0/सैप्टेज मै0/2022–23–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 में दिनांक 10.12.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा–301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पालिका परिषद् बड़कोट (उत्तरकाशी) की बोर्ड बैठक दिनांक 15–08–2021 के प्रस्ताव स0–12 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम–2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है। जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। अतः लोकहित में सुविधा सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम–2021 में यदि किसी संस्था व्यक्ति व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पालिका परिषद् बड़कोट में प्रस्तुत कर सकते हैं निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा। जो निम्नवत हैः–

परिभाषाः-

1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः- यह उपनियम नगर पालिका परिषद बड़कोट प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट-उपनियम-२०२१, नियमावली कहलायेगी,जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह उपनियम नगर पालिका परिषद बड़कोट की सीमा के भीतर लागू होगें।

2-नगर पालिका परिषद् बड़कोट- नगर पालिका का आशय नगर पालिका परिषद् बड़कोट के अधिसूचित क्षेत्र 2014 के अनुसार 07 वार्डो की सीमा से हैं।

3- अधिशासी अधिकारी- अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पालिका परिषद बड़कोट के कार्यपालक अधिकारी से है।

4- अध्यक्ष -अध्यक्ष का आशय नगर पालिका परिषद बड़कोट के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से हैं. अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर प्रशासक/उपजिलाधिकारी,अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से हैं।

5- सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल- सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पालिका परिषद बड़कोट में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से हैं. जो कि सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा। जिसके अध्यक्ष,उपजिलाधिकारी बडकोट होंगे, तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बड़कोट सदस्य सचिव होंगे, और सहायक अभियन्ता पेयजल निगम, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान तथा चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़कोट एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, एस॰ एम॰ सी॰ से सम्बन्धित तकनीकि विशेषज्ञ,नामित सदस्य होंगे।

6. प्रसंग - सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है,जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाय, पर्यावरण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वायु, स्थल, नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें।

6.1.फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीतिः-इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत-सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बनें रहे, एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे,तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज उपचार हो सके,ताकि उच्चतर स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ पर्यावरण

6.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्धक प्रोटोकाल:-नगर पालिका परिषद बड़कोट उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 के अनुसार फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन अधिनियम के अनुसार उपविधि तैयार की जा रही है, जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सकें। आदेश सं0 597/(पअ(2)- श0वि0-2017-50(सा0)/16 दिनांक-22-05-2017 राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बना रहे जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, उपचार, सैप्टिज/ फीकल स्लज का निस्तारण ओर पुनः प्रयोग हो सके।

6.3- नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितीकरण:- सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा0सं0-597/(पअ (2)- श0वि0- 2017-50 (सा0)/16 दिनांक-22-05-2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पालिका परिषद बड़कोट नियमित ढाचां को रिक्त करने, एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है। फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद बड़कोट के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

3-उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र:- इस नियमावली के उद्देश्य एव कार्य निम्नवत हैं:-

1- निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढढे परिवहन इलाज ओर सुरक्षित रखरखाब जो कि स्लेज ओर सेप्टेंज से सम्बन्धित है।

2-क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैंक ओर शौचालय के गढढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित कर सके।

3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।

4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है।

5- निजि और गैरसरकारी क्षैत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।

4- एकत्रीकरण परिवहन इलाज ओर सैप्टिज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना ।

4- (1) सैप्टिक टैंक ओर सैप्टज/ फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:-

सैप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुंच गया है या बार-2 के आखिर में जो डिजायन है जो कोई भी पहले आये,

2. जबकि स्लज को सुखाना ओर सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का उपयोग (जो नगर पालिका परिषद बड़कोट द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैंक का खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये।

3. सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैंक के खाली करते समय ओर सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहियें।

4 (2) सैप्टेज/फिकल स्लज का परिवहनः-

1- फिकल स्लज ओर सैप्टज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें जैसा कि समय-2 पर सैप्टज मैनेजमेन्ट से (एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृत किये जायेगे।

(2) फिकल स्लज ओर सैप्टेज फिकल निर्माता यह आश्वासन देगें किः-

(अ) पंजीकृत सग्रंह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेगें फिकल स्लज ओर सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु तालाबन्द रहेगा। ओर लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेगे।

(ब कोई भी टैंक ओर उपकरण जो कि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा।

4(3) सैप्टेज का निश्पादन ओर इलाज-राज्य सैप्टज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पालिका परिषद बड़कोट की अपनी एक ईकाई होगी, जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा ।

5- सुरक्षा उपायः-

(1) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें

(2) फिकल स्लज और सेप्टेज टान्सपोर्टर यह सुनिश्चित करें-

(अ) समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोक्रिन, लोयस, रबर बूट, चेहरे का मास्क, आंखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मेनुअर स्कैबेजंर ओर उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है।

(ब) समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षैत्र से पहले अपना लिया जायें।

(स) समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थयवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये।

(द) प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैम्प और अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है, इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

(य) सैप्टिक टैकं पिट लैट्रिन में काम चल रहा है, उस समय धुमपान पुर्णतः वर्जित है।

(र) मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शौचालय गढढे में प्रवेश नही करेगें। ओर आच्छादित टैंक को आना जाना रखेगे जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

(ल) बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैकं के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे, कर्मचारी सावधान रहेगें जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है। या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6- सेप्टेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहनः-

6.1 नगर पालिका परिषद बड़कोट परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेन्स निर्गत करेगा निजि व्यवसायीयों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण ओर उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज ट्रान्सपोटर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पालिका परिषद बड़कोट के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व परमिट प्रपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना होगा ।

6.2 नगर पालिका परिषद बड़कोट सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोटर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा । जो कि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेप्टेज के प्रयोजन हेतु अनुमन्य है। जब तक कि इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रान्सपोटरन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकालो में पंजीकृत नही है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण :2000.00 प्रति गाड़ी

ब. नवीनीकरण 1500.00 प्रति गाड़ी

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा, जैसा कि यू0एल0बी0 में फेकल सलज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है। जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गढढे, परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 पालिका परिषद बड़कोट अपनी लागत से संसोधित करेगा जो कि समय-2 इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है।

7.3 उपभौक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत है।

(अ)- उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पालिका परिषद बड़कोट द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पालिका परिषद बड़कोट के कोष में जमा किया जायेगा। जो कि सम्बन्धित भवन/सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा।

(ब)- उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना होगा।

<u>सारणी-2 उपभोक्ता लागतः-</u> नगर पालिका क्षेत्र में सेप्टिक टैंक और हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आश्य की शिकायत प्राप्त होनें पर सैप्टिक टैंक ओवर-फ्लो तो नहीं हो रहा है तुरन्त नगर पालिका से सुपरवाईजर को भेजकर जांच करवायेंगे । इसके अलावा नगर पालिका में सैप्टिक टैंक को खाली करानें के आवेदन के आनें पर नगर पालिका द्वारा जांच कराई जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली करानें में कितनें सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे । तसदीक होनें पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा ।

1- नगर पालिका के सीवर टैंकर की क्षमता 4000 लीटर

2- **पालिका सीमा के भीतर मेन रोड/मार्गो के व्यवसायिक होटलों:-** रू0 10000/- प्रति फेरा तथा रू0 1000/-STP शुल्क कुल रू0 11000/-भवन स्वामी पालिका में शुल्क जमा करेगा। सेप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होनें पर दूसरे फेरे की स्थिति होनें के कारण सम्बन्धित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् दूसरे फेरे में 2000/-रू0 की छूट प्रदान की जायेगी।

3-**पालिका सीमा के के अन्दर गली मोहल्लों के के होटलों/भवनों:-** रू0 6000/-प्रति फेरा तथा रू0 1000/- STP शुल्क कुल रू0 7000/-भवन स्वामी पालिका में शुल्क जमा करेगा। सेप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होनें पर दूसरे फेरे की स्थिति होनें के कारण सम्बन्धित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् दूसरे फेरे में 2000/-रू0 की छूट प्रदान की जायेगी। यदि फिकल नगर सीमा के बाहर ले जाया जाता है ,तो 500/प्रति किमी0 आधार पर भवन स्वामी पालिका में शुल्क जमा करेगा ।

4. नगरपालिका द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सेप्टिक टैंक ज्यादा ही छोटा है, तो निरीक्षण पशचात तथा यह समाधान हो जानें पर कि सम्बन्धित सेप्टिक टैंक में 4000 लीटर का सीवर टैक पूर्ण नहीं भर पायेगा , उपरोक्त निर्धारित दरों में आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है ।

3- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वारक दर से बढाई जायेगी।

8. <u>मैकेनिजम का निरीक्षण ,क्रियान्वयन और मजबूती देना:</u>

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार है कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका में जमा की जायेगी।

8.3 यू0एल0बी0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय- समय पर चलायी जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी । जो कि सैप्टिक टैक, बायोडाइजेस्टर मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेक का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा।

9, <u>दण्ड:</u> दण्ड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट/आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रिकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियो का अनुपालन न करना।

<u>सारणी -3 दण्ड</u>

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गई वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे बार पकडी गयी विषेश रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सोचनीय सेवा की शिकायत	3000=00	6000=00	तीन महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण ।
2	सेप्टेज/फेकल सलज जेसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में	1500=00	6 माह के लिय परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना ।	1500=00	2500=00	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु तीन महिने के लिए परमिट कोस्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना ।

शास्ति/दण्ड

नगर पालिका परिषद बडकोट(उत्तरकाशी) की सीमान्तगत" प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमैन्ट " के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10/2015 दिनाक-10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियो का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमैन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लघंन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा दोष सिद्ध पाये जाने पर रू0- 5,000=00 (पाच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रू0- 5,000=00 (पाच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू0- 100=00(एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा। उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे-खर्चे की वसूली भू-राजस्व की भाति वसूल की जायेगी। विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला-उत्तरकाशी होगा।

मोहन प्रसाद गौड,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
बड़कोट उत्तरकाशी।

अनुपमा रावत,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
बड़कोट उत्तरकाशी।